



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28052022-236086
CG-DL-E-28052022-236086

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2290]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 27, 2022/ज्येष्ठ 6, 1944

No. 2290]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 27, 2022/JYAISHTHA 6, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 2022

का.आ. 2416(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तूर जिले में NH140 के कि.मी. 0 से कि.मी. 61.128 (जॉयंट कलैक्टर, चित्तूर) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ा करने /6 - लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "02.01.2018 " को "आंध्र ज्योति" और "दि हिन्दू" तारीख "03.01.2018 " में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तूर जिले में कि.मी. 0 से कि.मी. 61.12 NH140 से भूमि के विस्तार में NH140 के भीतर, संरचना के साथ या बिना अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश		जिले का नाम: चित्तूर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: पुथलापट्टूर				
	गांव का नाम: कोठाकोटा				
1	1261/2B1	निजी(पट्टा)	ड्रे	0.032376	आर्.नीलावती डबल्यू/ओ आर्.सुंदरम नायडू (१२६१/२बी१)
2	1261/2C	निजी(पट्टा)	ड्रे	0.04047	आर्.नीलावती डबल्यू/ओ आर्.सुंदरम नायडू (१२६१/२सी)
3	1261/2D	निजी(पट्टा)	ड्रे	0.056658	आर्.नीलावती डबल्यू/ओ आर्.सुंदरम नायडू (१२६१/२डी)
4	1262/1	निजी(पट्टा)	ड्रे	0.234726	आर्.नीलावती डबल्यू/ओ आर्.सुंदरम नायडू (१२६२/१)
5	1262/2A	निजी(पट्टा)	ड्रे	0.234726	आर्.नीलावती डबल्यू/ओ आर्.सुंदरम नायडू (१२६२/२ए)
			कुल	0.598956	

[फा. सं. NHAI/PIU-TPT/3(A)/K-M/III/2017/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th May, 2022

S.O. 2416(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/Six-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH140 on the stretch of land from Km. 0 to Km. 61.128 (Joint Collector,Chittoor) in the district of CHITTOOR in the state of ANDHRA PRADESH;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Andra jyothis” on dated 02.01.2018 and “The Hindu” on dated 03.01.2018; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH140 in the stretch of land from Km. 0 to Km. 61.12 in the district of CHITTOOR in the state of ANDHRA PRADESH.

State: ANDHRA PRADESH		District: CHITTOOR			
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Puthalapattu				
	Village : Kothakota				
1	1261/2B1	Private(Patta)	Dry	0.032376	R.Neelavathi w/o R.Sundram naidu 1261/2B1
2	1261/2C	Private(Patta)	Dry	0.04047	R.Neelavathi w/o R.Sundram naidu 1261/2C
3	1261/2D	Private(Patta)	Dry	0.056658	R.Neelavathi w/o R.Sundram naidu 1261/2D
4	1262/1	Private(Patta)	Dry	0.234726	R.Neelavathi w/o R.Sundram naidu 1262/1
5	1262/2A	Private(Patta)	Dry	0.234726	R.Neelavathi w/o R.Sundram naidu 1262/2A
			TOTAL	0.598956	

[F. No. NHAI/PIU-TPT/3(A)/K-M/III/2017/3D]

RAJESH GUPTA, Director